(वाद सं0.–1322/4/23/2019)

22.06.2021

प्रसंगाधीन मामला मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी, गायधाट द्वारा परिवादी, ननकी सहनी, को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण की राशि के भुगतान पर रोक लगाय जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गायधाट** के प्रतिवेदनानुसार " **श्री ननकी सहनी को वर्ष 2017–2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ प्राप्त है। जिसका PMAYG ID- 2083160 है। इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में मो0 120000.00(एक लाख बीस हजार) रू0 मात्र प्राप्त हो चुका है एवं इनके द्वारा आवास का निर्माण भी पूर्ण कर लिया गया है।**

अतः परिवादी श्री सहनी PMAYG ID- 2083160 के भुगतान पर किसी भी तरह की कोई रोक नही लगाई गई है। परिवादी द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है।"

अब जबकि, परिवादी के समस्या का संबंधित प्राधिकार द्वारा निदान/समाधान किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति **जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए पसंगाधीन मामले को मानवाधिकारी अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति(अनुलग्नको संहित) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया ।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक